रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2010/चैत्र 8, 1932
No. 139] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2010/CHAITRA 8, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 219(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 26 अक्तूबर, 1989 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) **उपदान.**—ऐसे सदस्य जिन्होंने अधिकरण में पांच वर्ष सेवा पूरी कर ली है, छह मास की प्रत्येक पूरी सेवा अवधि के लिए उपलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुणा के अधीन रहते हुए उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्त उपदान के हकदार होंगे :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य को संदेय उपदान की कुल रकम और आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में कार्य ग्रहण करने से पहले किसी संगठन या विभाग में की गई सेवाओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त की गई उपदान की रकम सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त के समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपदान की रकम से अधिक नहीं होगा ।"।

[फा. सं. ए.-11014/8/2009-एटी]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे सदस्य जो 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त हुए थे, आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्त उपदान देने का विनिश्चय किया है और तद्नुसार आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 930(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 52(अ), तारीख 29 जनवरी, 1991;

2. सा.का.नि. 46(अ), तारीख 31 जनवरी, 1994;

3. सा.का.नि. 660(अ), तारीख 21 सितम्बर, 1995;

4. सा.का.नि. 528(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998;

5. सा.का.नि. 842(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2000;

6. सा.का.नि. 672(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007;

7. सा.का.नि. 875(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009 ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 219(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force on the 26th October, 1989.

2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in Rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) **Gratuity.**—The Members who have completed five years of service in the Tribunal shall be entitled for a retirement gratuity equal to one-fourth of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of sixteen and half time of the emoluments :

Provided that the total amount of gratuity payble to a Member under this clause and the amount of gratuity drawn by him in respect of services rendered in an organisation or department before joining Andhra Pradesh Administrative Tribunal shall not exceed the maximum amount of gratuity specified by the Central Government for officers of All India Service at the time of his retirement from Government service.".

[F. No. A-11014/8/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant retirement gratuity to the Members of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal who were appointed before 19th February, 2007 for the service rendered by them in the Andhra Pradesh Administrative Tribunal and accordingly, the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 930(E), dated the 26th October, 1989 and subsequently amended *vide* notification No. :—

1. G.S.R. 52(E), dated the 29th January, 1991;

2. G.S.R. 46(E), dated the 31st January, 1994;

3. G.S.R. 660(E), dated the 21st September, 1995;

4. G.S.R. 528(E), dated the 27th August, 1998;

5. G.S.R. 842(E), dated the 31st October, 2000;

6. G.S.R. 672(E), dated the 18th October, 2007;

7. G.S.R. 875(E), dated the 9th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 22 अगस्त, 1986 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

IndiaCode

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) **उपदान.**—ऐसे सदस्य जिन्होंने अधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, छह मास की प्रत्येक पूरी सेवा अवधि के लिए उपलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुणा के अधीन रहते हुए उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्त उपदान के हकदार होंगे :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य को संदेय उपदान की कुल रकम और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में कार्य ग्रहण करने से पहले किसी संगठन या विभाग में की गई सेवाओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त की गई उपदान की रकम सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त के समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपदान की रकम से अधिक नहीं होगा।"।

[फा. सं. ए.-11014/8/2009-एटी]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे सदस्य जो 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त हुए थे, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्त उपदान देने का विनिश्चय किया है और तद्नुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1015(अ), तारीख 22 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 424(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1988;
2. सा.का.नि. 1046(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1989;
3. सा.का.नि. 729(अ), तारीख 19 अगस्त, 1992;
4. सा.का.नि. 45(अ), तारीख 31 जनवरी, 1994;
5. सा.का.नि. 207(अ), तारीख 22 मार्च, 2001;
6. सा.का.नि. 674(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007;
7. सा.का.नि. 876(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be applicable to the Chairman and Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force on the 22nd August, 1986.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) **Gratuity.**—The Members who have completed five years of service in the Tribunal shall be entitled for a retirement gratuity equal to one-fourth of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of sixteen and half time of the emoluments :

Provided that the total amount of gratuity payble to a Member under this clause and the amount of gratuity drawn by him in respect of services rendered in an organisation or department before joining Himachal Pradesh Administrative Tribunal shall not exceed the maximum amount of gratuity specified by the Central Government for officers of All India Service at the time of his retirement from Government service.".

[F. No. A-11014/8/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant retirement gratuity to the Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal who were appointed before 19th February, 2007 for the service rendered by them in the Himachal Pradesh Administrative Tribunal and accordingly, the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 1015(E), dated the 22nd August, 1986 and subsequently amended *vide* notification No. :—

1. G.S.R. 424(E), dated the 4th April, 1988;
2. G.S.R. 1046(E), dated the 13th December, 1989;
3. G.S.R. 729(E), dated the 19th August, 1992;
4. G.S.R. 45(E), dated the 31st January, 1994;
5. G.S.R. 207(E), dated the 22nd March, 2001;
6. G.S.R. 674(E), dated the 18th October, 2007;
7. G.S.R. 876(E), dated the 9th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 221(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 17 सितम्बर, 1986 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) **उपदान.**—ऐसे सदस्य जिन्होंने अधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, छह मास की प्रत्येक पूरी सेवा अवधि के लिए उपलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुणा के अधीन रहते हुए उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्त उपदान के हकदार होंगे :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य को संदेय उपदान की कुल रकम और कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण में कार्य ग्रहण करने से पहले किसी संगठन या विभाग में की गई सेवाओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त की गई उपदान की रकम सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त के समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपदान की रकम से अधिक नहीं होगा ।"।

[फा. सं. ए.-11014/8/2009-एटी]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे सदस्य जो 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त हुए थे, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्त उपदान देने का विनिश्चय किया है और तद्नुसार कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1092(अ), तारीख 17 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 424(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1988;
2. सा.का.नि. 1049(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1989;
3. सा.का.नि. 520(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1996;
4. सा.का.नि. 86(अ), तारीख 3 फरवरी, 2000;
5. सा.का.नि. 320(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2000;
6. सा.का.नि. 78(अ), तारीख 8 फरवरी, 2001;
7. सा.का.नि. 671(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007;
8. सा.का.नि. 877(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Karnataka Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force on the 17th September, 1986.

2. In the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) **Gratuity.**—The Members who have completed five years of service in the Tribunal shall be entitled for a retirement gratuity equal to one-fourth of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of sixteen and half time of the emoluments :

Provided that the total amount of gratuity payble to a Member under this clause and the amount of gratuity drawn by him in respect of services rendered in an organisation or department before joining Karnataka Administrative Tribunal shall not exceed the maximum amount of gratuity specified by the Central Government for officers of All India Service at the time of his retirement from Government service.".

[No. A-11014/8/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant retirement gratuity to the Members of the Karnataka Administrative Tribunal who were appointed before 19th February, 2007 for the service rendered by them in the Karnataka Administrative Tribunal and accordingly, the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Karnataka Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 1092(E), dated the 17th September, 1986 and subsequently amended *vide* notification Nos. :—

1. G.S.R. 424(E), dated the 4th April, 1988;
2. G.S.R. 1049(E), dated the 13th December, 1989;
3. G.S.R. 520(E), dated the 13th November, 1996;
4. G.S.R. 86(E), dated the 3rd February, 2000;
5. G.S.R. 320(E), dated the 6th April, 2000;
6. G.S.R. 78(E), dated the 8th February, 2001;
7. G.S.R. 671(E), dated the 18th October, 2007;
8. G.S.R. 877(E), dated the 9th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 222(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 5 दिसम्बर, 1986 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) **उपदान.**—ऐसे सदस्य जिन्होंने अधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, छह मास की प्रत्येक पूरी सेवा अवधि के लिए उपलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुणा के अधीन रहते हुए उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्त उपदान के हकदार होंगे :—

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य को संदेय उपदान की कुल रकम और मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में कार्यग्रहण करने से पहले किसी संगठन या विभाग में की गई सेवाओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त की गई उपदान की रकम सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त के समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपदान की रकम से अधिक नहीं होगा ।"।

[सं. ए-11014/8/2009-एटी]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे सदस्य जो 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त हुए थे, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्त उपदान देने का विनिश्चय किया है और तद्नुसार मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

Indiacode

1137 GI/10-2

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1253(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 16(अ), तारीख 10 जनवरी, 1989;
2. सा.का.नि. 1048(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1989;
3. सा.का.नि. 743(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 1994;
4. सा.का.नि. 699(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 1995;
5. सा.का.नि. 471(अ), तारीख 4 अगस्त, 1998;
6. सा.का.नि. 485 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2002;
7. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 28 अगस्त, 2002;
8. सा.का.नि. 878(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force on the 5th December, 1986.

2. In the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) **Gratuity.**—The Members who have completed five years of service in the Tribunal shall be entitled for a retirement gratuity equal to one-fourth of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of sixteen and half time of the emoluments :

Provided that the total amount of gratuity payble to a Member under this clause and the amount of gratuity drawn by him in respect of services rendered in an organisation or department before joining Madhya Pradesh Administrative Tribunal shall not exceed the maximum amount of gratuity specified by the Central Government for officers of All India Service at the time of his retirement from Government service.".

[No. A-11014/8/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant retirement gratuity to the Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal who were appointed before 19th February, 2007 for the service rendered by them in the Madhya Pradesh Administrative Tribunal and accordingly, the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 1253 (E), dated the 5th December, 1986 and subsequently amended *vide* notification Nos. :—

1. G.S.R. 16(E), dated the 10th January, 1989;
2. G.S.R. 1048 (E), dated the 13th December, 1989;
3. G.S.R. 743 (E), dated the 7th October, 1994;
4. G.S.R. 699 (E), dated the 26th October, 1995;
5. G.S.R. 471(E), dated the 4th August, 1998;
6. G.S.R. 485 (E), dated the 9th July, 2002;
7. G.S.R. 610 (E), dated the 28th August, 2002;
8. G.S.R. 878 (E), dated the 9th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 223(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 21 अक्तूबर, 1986 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

"(3) **उपदान.**—ऐसे सदस्य जिन्होंने अधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, छह मास की प्रत्येक पूरी सेवा अवधि के लिए उपलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुणा के अधीन रहते हुए उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्त उपदान के हकदार होंगे :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य को संदेय उपदान की कुल रकम और महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण में कार्यग्रहण करने से पहले किसी संगठन या विभाग में की गई सेवाओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त की गई उपदान की रकम सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त के समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपदान की रकम से अधिक नहीं होगी ।"।

[सं. ए.-11014/8/2009-एटी]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे सदस्य जो 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त हुए थे, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्त उपदान देने का विनिश्चय किया है और तदनुसार महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1157(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 71 (अ), तारीख 30 जनवरी, 1992;
2. सा.का.नि. 288 (अ), तारीख 1 मार्च, 1994;
3. सा.का.नि. 565 (अ), तारीख 8 सितम्बर, 1998;
4. सा.का.नि. 898 (अ), तारीख 24 नवम्बर, 2000;
5. सा.का.नि. 569 (अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007;
6. सा.का.नि. 879 (अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009;

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Maharashtra Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force on the 21st October, 1986.

2. In the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) **Gratuity.**—The Members who have completed five years of service in the Tribunal shall be entitled for a retirement gratuity equal to one-fourth of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of sixteen and half time of the emoluments :

Provided that the total amount of gratuity payble to a Member under this clause and the amount of gratuity drawn by him in respect of services rendered in an organisation or department before joining Maharashtra Administrative Tribunal shall not exceed the maximum amount of gratuity specified by the Central Government for officers of All India Service at the time of his retirement from Government service.".

[No. A-11014/8/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant retirement gratuity to the Members of the Maharashtra Administrative Tribunal who were appointed before 19th February, 2007 for the service rendered by them in the Maharashtra Administrative Tribunal and accordingly, the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and

Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Maharashtra Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 1157 (E), dated the 21st October, 1986 and subsequently amended *vide* notification Nos. :—

1. G.S.R. 71 (E), dated the 30th January, 1992;
2. G.S.R. 288 (E), dated the 1st March, 1994;
3. G.S.R. 565 (E), dated the 8th September, 1998;
4. G.S.R. 898 (E), dated the 24th November, 2000;
5. G.S.R. 569 (E), dated the 18th October, 2007;
6. G.S.R. 879(E), dated the 9th December, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 224(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 4 जुलाई, 1986 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) **उपदान.**—ऐसे सदस्य जिन्होंने अधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, छह मास की प्रत्येक पूरी सेवा अवधि के लिए उपलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुणा के अधीन रहते हुए उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्त उपदान के हकदार होंगे :—

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य को संदेय उपदान की कुल रकम और उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण में कार्यग्रहण करने से पहले किसी संगठन या विभाग में की गई सेवाओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त की गई उपदान की रकम सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त के समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपदान की रकम से अधिक नहीं होगा ।"।

[सं. ए-11014/8/2009-एटी]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे सदस्य जो 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त हुए थे, उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्त उपदान देने का विनिश्चय किया है और तद्नुसार उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 935 (अ), तारीख 4 जुलाई, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 423(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1988;
2. सा.का.नि. 32(अ), तारीख 24 जनवरी, 1990;
3. सा.का.नि. 500(अ), तारीख 7 जून, 1994;
4. सा.का.नि. 564(अ), तारीख 8 सितम्बर, 1998;
5. सा.का.नि. 289(अ), तारीख 18 अप्रैल, 2002;
6. सा.का.नि. 670(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007;
7. सा.का.नि. 880(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009;

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Orissa Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force on the 4th July, 1986.

2. In the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) **Gratuity.**—The Members who have completed five years of service in the Tribunal shall be entitled for a retirement gratuity equal to one fourth of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of sixteen and half time of the emoluments :

Provided that the total amount of gratuity payble to a Member under this clause and the amount of gratuity drawn by him in respect of services rendered in an organisation or department before joining Orissa Administrative Tribunal shall not exceed the maximum amount of gratuity specified by the Central Government for officers of All India Service at the time of his retirement from Government service.".

[No. A-11014/8/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant retirement gratuity to the Members of the Orissa Administrative Tribunal who were appointed before 19th February, 2007 for the service rendered by them in the Orissa Administrative Tribunal and accordingly, the Orissa Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Orissa Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 935 (E), dated the 4th July, 1986 and subsequently amended *vide* notification No. :—

1. G.S.R. 423 (E), dated the 4th April, 1988;
2. G.S.R. 32 (E), dated the 24th January, 1990;
3. G.S.R. 500 (E), dated the 7th June, 1994;
4. G.S.R. 564 (E), dated the 8th September, 1998;
5. G.S.R. 289 (E), dated the 18th April, 2002;
6. G.S.R. 670 (E), dated the 18th October, 2007;
7. G.S.R.880 (E), dated the 9th December, 2009;

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 225(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 29 जून, 1988 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) **उपदान.**—ऐसे सदस्य जिन्होंने अधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, छह मास की प्रत्येक पूरी सेवा अवधि के लिए उपलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुणा के अधीन रहते हुए उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्त उपदान के हकदार होंगे :

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य को संदेय उपदान की कुल रकम और तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण में कार्य ग्रहण करने से पहले किसी संगठन या विभाग में की गई सेवाओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त की गई उपदान की रकम सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त के समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपदान की रकम से अधिक नहीं होगा ।"।

[सं. ए.-11014/8/2009-एटी]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे सदस्य जो 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त हुए थे, तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्त उपदान देने का विनिश्चय किया है और तदनुसार तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1988 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 756(अ), तारीख 29 अगस्त, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1137 GI/10-3

1. सा.का.नि. 1047(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1989;
2. सा.का.नि. 47(अ), तारीख 31 जनवरी, 1994;
3. सा.का.नि. 746(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 1998;
4. सा.का.नि. 302(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2001;
5. सा.का.नि. 933(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001;
6. सा.का.नि. 881(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009;

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 225(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force on the 29th June, 1988.

2. In the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988, in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) **Gratuity.**—The Members who have completed five years of service in the Tribunal shall be entitled for a retirement gratuity equal to one fourth of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of sixteen and half time of the emoluments :

Provided that the total amount of gratuity payble to a Member under this clause and the amount of gratuity drawn by him in respect of services rendered in an organisation or department before joining Tamil Nadu Administrative Tribunal shall not exceed the maximum amount of gratuity specified by the Central Government for officers of All India Service at the time of his retirement from Government service.".

[No. A-11014/8/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant retirement gratuity to the Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal who were appointed before 19th February, 2007 for the service rendered by them in the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Tamil Nadu Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 756(E), dated the 29th August, 1988 and subsequently amended *vide* notification No. :—

1. G.S.R. 1047(E), dated the 13th December, 1989;
2. G.S.R. 47(E), dated the 31st January, 1994;
3. G.S.R. 746(E), dated the 16th December, 1998;
4. G.S.R. 302(E), dated the 27th April, 2001;
5. G.S.R. 933(E), dated the 31st December, 2001;
6. G.S.R. 881(E), dated the 9th December, 2009;

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 226(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और धारा 36क के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे ।

(3) ये 21 दिसम्बर, 1994 को लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

"(3) **उपदान.**—ऐसे सदस्य जिन्होंने अधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, छह मास की प्रत्येक पूरी सेवा अवधि के लिए उपलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुणा के अधीन रहते हुए उपलब्धियों के एक चौथाई के बराबर सेवानिवृत्त उपदान के हकदार होंगे :

IndiaCode

परन्तु इस खंड के अधीन किसी सदस्य को संदेय उपदान की कुल रकम और पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण में कार्य ग्रहण करने से पहले किसी संगठन या विभाग में की गई सेवाओं की बाबत उसके द्वारा प्राप्त की गई उपदान की रकम सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त के समय अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपदान की रकम से अधिक नहीं होगा ।"।

[सं. ए.-11014/8/2009-एटी]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे सदस्य जो 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त हुए थे, पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण में उनके द्वारा की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्त उपदान देने का विनिश्चय किया है और तद्नुसार पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 875(अ), तारीख 21 दिसम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 587(अ), तारीख 5 जुलाई, 2000;
2. सा.का.नि. 673(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2007;
3. सा.का.नि. 882(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009;

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 226(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairman and Members of the West Bengal Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

(3) They shall be deemed to have come into force on the 21st December, 1994.

2. In the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994, in rule 8, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) **Gratuity.**—The Members who have completed five years of service in the Tribunal shall be entitled for a retirement gratuity equal to one fourth of the emoluments for each completed period of six months of service subject to a maximum of sixteen and half time of the emoluments :

Provided that the total amount of gratuity payble to a Member under this clause and the amount of gratuity drawn by him in respect of services rendered in an organisation or department before joining West Bengal Administrative Tribunal shall not exceed the maximum amount of gratuity specified by the Central Government for officers of All India Service at the time of his retirement from Government service.".

[No A-11014/8/2009-AT]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

The Central Government has decided to grant retirement gratuity to the Members of the West Bengal Administrative Tribunal who were appointed before 19th February, 2007 for the service rendered by them in the West Bengal Administrative Tribunal and accordingly, the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994 are being amended with retrospective effect.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the West Bengal Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published *vide* notification No. G.S.R. 875(E), dated the 21st December, 1994 and subsequently amended *vide* notification No. :—

1. G.S.R. 587(E), dated the 5th July, 2000;
2. G.S.R. 673(E), dated the 18th October, 2007;
3. G.S.R. 882(E), dated the 9th December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.